<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या – 08/2020

छोटूराम बनाम देवीलाल वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2026	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वादी की ओर से कथन किया गया है कि उक्त प्रकरण जब वादी के साक्ष्य में आया और वादी की साक्ष्य शुरू की गई, उस समय वादी को असल पट्टा पेश करने की हिदायत दी गई। इस पर वादी ने अपने घर जाकर उक्त असल पट्टा की खोज करनी शुरू की, परन्तु वादी को असल पट्टा नहीं मिल सका, क्योंकि वादी की पत्नी के नाम इन्द्राज आज से 2 वर्ष पूर्व आवास योजना में ऋण स्वीकृत हुआ। इस पर वादी ने अपना पुराना कच्चा मकान तोड़ा, उस समय उसने अपने मकान का सारा सामान निकलाकर बाहर रखा, उस समय उक्त पट्टा जो घरेलू समान के साथ रखा हुआ था, वो पट्टा वादी के द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद नहीं मिला और वो असल पट्टा गुम हो गया, इस पर वादी ने अपने पट्टा भी प्रमाणित नकलें प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत निम्बोला कलां के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया, परन्तु ग्राम पंचायत निम्बोला कलां द्वारा उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लाने पर वादी ने अपने वकील द्वारा ग्राम पंचायत निम्बोला कलां को रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। इस पर भी ग्राम पंचायत निम्बोला कलां द्वारा वादी को पट्टा की नकल नहीं देने पर वादी ने सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत निम्बोला कलां के समक्ष आवेदन पेश किया, इस पर ग्राम पंचायत निम्बोला कला द्वारा वादी को जरिए पत्र सूचित किया कि उनके पास वादी के पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत निम्बोला कलां के पास मौजूद नहीं होने से वो वादी को उसके पट्टे की प्रमाणित नकल उपलब्ध नहीं करा सकता। इसके बाद वकील वादी ने उक्त पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम पंचायत	

निम्बोला कलां से वादी के पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड पेश कराने हेतु पेश किया। इस पर अदालत हाजा में उक्त तथ्य आने पर की वादी के पट्टा से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत निम्बोला कलां के पास मौजूद नहीं होने से वो इस बाबत रेकर्ड पेश नहीं कर सकते, इस पर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त तथ्य रेकर्ड पर लेकर वादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। वादी द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद वादी को अपना असल पट्टा नहीं मिल सका और न ही उसे अपने पट्टे की प्रमाणित नकल प्राप्त हो सकी। वादी से उसका असल पट्टा गुम हो चुका है, इसलिए वादी के पास उसका असल पट्टा मौजूद नहीं होने से वादी अब असल पट्टा की फोटोकॉपी को द्वितीय साक्ष्य के रूप में शुमार करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। वादी के वाद में उक्त पट्टा बहुत ही मजबूत साक्ष्य है और इसके अभाव में वादी अपना वाद के तथ्यों को अदालत हाजा के समक्ष सिद्ध करने में असफल हो जायेगा, जिससे वादी को भारी आर्थिक, मानसिक व शारीरिक क्षति होगी और वादी को अपनी पट्टाशुद जमीन से महरूम होना पडेगा। इसके विपरीत उक्त पट्टा की द्वितीय साक्ष्य रेकर्ड पर लेने से प्रतिवादी को किसी प्रकार की क्षति उठानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उक्त प्रकरण अभी वादी की साक्ष्य में विचाराधीन है। इसके कारण प्रतिवादी को इस पर वादी से जिरह करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेगा, जिससे प्रतिवादी को किसी प्रकार की क्षति उठानी नहीं पड़ेगी। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत धारा 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी का पट्टा सं. 5 मिसल संख्या 13 ग्राम पंचायत निम्बोला कलां द्वारा जारी असल पट्टा की फोटो कॉपी को द्वितीय साक्ष्य के रूप में शुमार कर वादी को इस पर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश फरमावें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई गई, जिन्होंने उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर कथन किए कि वादी ने अपने पट्टा की प्रमाणित नकलें प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत निम्बोला कलां के समक्ष आवेदन पत्र

पेश किया, इससे प्रतिवादीगण अनभिज्ञ है। आवेदन कब, किस तारीख को पेश किया, इसकी जानकारी नहीं दी गई है एवं ग्राम पंचायत निम्बोला कलां को जरिए अधिवक्ता नोटिस दिलवाये जाने की जानकारी से भी वादी अनभिज्ञ है। उक्त नोटिस कब, किस तारीख को दिया, उक्त दस्तावेज पेश नहीं किया, न ही इस प्रार्थना पत्र में जानकारी दी। सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किस तारीख को किया, उसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। बकाया पैरा भी गलत होने से अस्वीकार है। कानूनन उक्त पट्टा का कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है एवं वादी के पास जो पट्टा की फोटो प्रति है वो मूल पट्टे की है या नहीं, यह कहीं भी साबित नहीं किया एवं वादी ने कभी भी अदालत में असल पट्टा गुम होने बाबत पहले कोई जानकारी नहीं दी। वादी शुरू से ही अदालत में यह कहता आया कि असल पट्टा अदालत में प्रस्तुत कर दूंगा व असल पट्टा पेश करने हेतु वादी समय प्राप्त करता रहा। वादी अदालत को असल पट्टा पेश करने का कहकर मुगालते में रख रहा था व अब उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो काबिल खारिज के है। कानूनन असल पट्टा भी ग्राम पंचायत निम्बोला कलां के पास व वादी स्वयं के पास नहीं है, तो उक्त फोटो प्रति असल पट्टा की है या नहीं यह नहीं माना जा सकता व उक्त फोटो प्रति को कानूनन द्वितीय साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया एवं बहस के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ये काबिले गौर है कि प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रतिवादीगण ने उक्त दस्तावेज को कूटरचित या अवास्तविक होना नहीं बताया है। उक्त दस्तावेज की फोटोकॉपी वादी के पास मौजूद है, जिसका मूल गुम हो जाना बताया गया है एवं मूल पट्टे का रिकॉर्ड भी पंचायत में नहीं होना बताया गया है। अब न्यायालय को ये देखना है कि क्या पट्टे की फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर ली जाकर द्वितीयक साक्ष्य में पेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ए.आई.आर. 1969 एस.सी. पेज नं. 253 अनवान श्रीमती बीबी आयशा व अन्य बनाम द बिहार सुबई सुन्नी मजलिस अवाक्वाफ व अन्य में ये माना है कि यदि दस्तावेज 65(ए) साक्ष्य अधिनियम के तहत आता है और बावजूद धारा 66 साक्ष्य अधिनियम की सूचना, प्रतिपक्षी इसे पेश नही करता है तो प्रमाणित प्रति बिना भी केवल प्लेन दस्तावेज भी साक्ष्य में ग्राह्य होगा। प्रतिवादी ने उक्त दस्तावेज फोटोकॉपी होने से संदेहास्पद बताए है परन्तु माननीय राजस्थाान उच्च न्यायालय ने 1995 (1) दीवानी निर्णय जनरल राज. पेज नंबर 142 अनवान ओमप्रकाश बनाम मैसर्स बोथरा सॉल्ट वर्कस व अन्य में एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ए.आई.आर. 1999 एस.सी. पेज नं. 1668 अनवान नवाबसिंह बनाम इन्दरजीत कौर में माना है कि दस्तावेज के संदेहास्पद होने के आधार पर दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि बाद साक्ष्य प्रतिपक्षी को सन्देह के आधार साबित करने चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2002 (4) राज. पेज नं. 2010 सेदू व अन्य बनाम बिरधा व अन्य में माना है कि पक्षकार के पक्ष को साबित करने के आवश्यक दस्तावेज के फोटोकॉपी को रिकॉर्ड पर लेने की इंकारी न्यायहनन के दायरे में आएगी यदि मूल दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता के कब्जे में ही ना हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ए.आई.आर. 1997 राज. पेज नं. 75 अनवान श्रीमती रतना शर्मा बनाम एम्बेसडर ड्राइक्लीनर्स व अन्य एवं अन्य प्रकरण 1996 (2) डी.एन.जे. राज. 741 अनवान गुलाम अब्बास व अन्य बनाम जनकराज में माना है कि मूल से मिलान न होने के बावजूद भी दस्तावेज की फोटोकॉपी साक्ष्य में ग्राह्य होगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2002 वेस्टर्न लॉ केसेस पेज नं. 285 अनवान मै. हिन्दुस्तान इंजीनियर कॉ. व अन्य बनाम भगवानलाल व अन्य में माना है कि मूल दस्तावेज कब्जे में न होना फोटोकॉपी पेश करने का अच्छा आधार है।

उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते हैं, क्योंकि वादी का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र द्वारा समर्थित है, मूल दस्तावेज वादी के कब्जे में नहीं होना दर्शित किया गया है। प्रस्तावित फोटोकॉपी के कूटरचित होने का कथन नहीं किया गया है और वादी बाद साक्ष्य उक्त प्रस्तुत फोटोकॉपी को सक्षम साक्ष्य से संदेहयुक्त होना साबित भी कर सकते हैं। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादी का पट्टा संख्या 5 मिसल संख्या 13 ग्राम पंचायत निम्बोला कलां द्वारा जारी असल पट्टा की फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर ली जाकर Subject to correctness and truthfulness साक्ष्य में पेश करने की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 30.01.2026 को पेश हो।